लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/44/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांक:– 08.04.2019

श्री रियाज खान निवासी 83, इन्द्रा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

Web Copy - Not Official

निर्णय

दिनांक 03.05.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 27.02.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 44/2019/(03.05)/180 दिनांक 08.04.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा को दिनांक 03.05.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 03.05.19 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ। सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/39 दिनांक 03.05.2019 से कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार है:–

1. यह कि प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा दिनांक 27.02.2019 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर कार्यालय के पत्रांक/पीए/2016/703 दिनांक

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

30.09.2016 पर हुई कार्यवाही की सत्यापित प्रतिलिपि चाही। आवेदन पत्र पर नगर पालिका, निम्बाहेडा से जवाब प्राप्त किया गया तथा कार्यालय पत्रांक/आर.टी.आई./2019/32 दिनांक 26.03.2019 के माध्यम से प्रार्थी श्री रियाज खान को सूचित किया गया कि नगर पालिका, निम्बाहेड़ा द्वारा उक्त पत्रांक पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

2. यह कि पत्रावली की छायाप्रतियां संलग्न भेज निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है तथा इस कार्यालय स्तर पर कोई सूचना उपलब्ध कराया जाना शेष नहीं है। अपील निरस्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/राजस्व/2019/39 दिनांक 03.05.2019 से प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी को सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा द्वारा अपने पत्रांक/आर.टी.आई./2019/32 दिनांक 26.03.2019 (अपीलार्थी को प्राप्ति दिनांक 05.04.2019) से उसके द्वारा वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है। अतः अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं रहती है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./44/2019(सू.अ.)/202
दिनांकः– 10/05/2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
2. श्री रियाज खान निवासी 83, इन्द्रा कॉलोनी, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
चित्तौड़गढ़ (राज.)